

### अनुमति की शर्तें।

- (i) उक्त भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा।
- (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है।

एकल (वै.की) केवल आवासीय उपयोगार्थ

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक... 80 दिनांक... 13/05/2019

प्रार्थी मोहम्मद अक़म S/O श्री अहमद करीम

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 P.No. 7 हरीजन धरती

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 6,475/-

जरिये रसीद संख्या... 1005/2176 & 177

दिनांक... 13/05/2019 को जमा करा दी हैं।

प्रारूपकार

नगर निगम, जोधपुर

Recd

Mhwanu  
AAR

9414130820